MOST-URGENT

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(26)ग्राविवि–5/सां./PMAY-G/विविध–1/2018–19 जयपुर, दिनांक 02 नवम्बर, 2018

संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास),
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :–इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्विकृत आवासों कि देय किश्तों का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1569 दिनांक 01.11.2018। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 12.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभार्थियों के आवास पूर्ण कराए जाने के बावजूद भी भुगतान PFMS के माध्यम से नहीं हो रहे है, इसी प्रकार के प्रकरण पूर्व में भी अन्य जिलों से प्राप्त हो चुके है, जिसके क्रम मे विभागीय पत्र दिनांक 30.08.2018 एवं 07.09.2018 के द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को PFMS के माध्मय से भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर माह मार्च, 2015 तक अपनाई जा रही प्रक्रिया की तरह ही **RTGS** के माध्यम से लाभार्थियों के खातें में राशि हस्तानान्तरण अनुमत किया जावे, जिससे द्वितीय किश्त हस्तानान्तरित कर आवास पूर्ण करवाकर तृतीय/अंतिम किश्त हस्तानान्तरित कर आवासों को पूर्ण प्रदर्शित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी यही प्रस्ताव PFMS प्रणाली से भुगतान में आ रही समस्याओं के कारण दिनांक 03.10.2016 को प्रेषित किया गया है। अतः पुनः आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनुमति प्रदान करावे, जिससे योजनान्तर्गत निर्मित आवासों के लाभार्थियों को देय राशि उनके खातों में हस्तानान्तरित की जा सके एवं शेष आवासों को भी पूर्ण/Writing Off की कार्यवाही संपादित करवायी जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निदेशक, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविवि), समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

c:\users\iay\desktop\ghanshyam\letter.docx